

राज्य कानूनों की वार्षिक समीक्षा 2023

प्रलिस के लिये:

[बजट, लोक लेखा समिति, नयितरक एवं महालेखा परीक्षक, अध्यादेश, संगठति अपराध, लोकायुक्त, वसतु एवं सेवा कर](#)

मेन्स के लिये:

लोक लेखा समिति की प्रभावशीलता, बजटीय पारदर्शति एवं जाँच, वधायी प्रक्रया की दक्षता, गवर्नेस और शासन सुधार

[स्रोत: द हद्वि](#)

चर्चा में क्यों?

PRS लेजसिलेटवि रसिर्च ने हाल ही में "राज्य कानूनों की वार्षिक समीक्षा 2023" रपिर्ट जारी की है। इस रपिर्ट में पूरे भारत में राज्य वधिनसभाओं के कामकाज का गहन वशिलेषण कया गया तथा उनके प्रदर्शन के वभिन्न प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डाला गया।

नोट:

- PRS लेजसिलेटवि रसिर्च, जसि आमतौर पर PRS कहा जाता है, एक भारतीय गैर-लाभकारी संगठन है जसि भारतीय वधायी प्रक्रया को बेहतर जानकारी, अधिक पारदर्शी और भागीदारीपूर्ण बनाने के लिये एक स्वतंत्र अनुसंधान संस्थान के रूप में सतिंबर 2005 में स्थापति कया गया था। PRS का मुख्यालय नई दल्लि में स्थति है।

रपिर्ट के मुख्य बदि क्या हैं?

- **बनि चर्चा के बजट पारति होना:**
 - वर्ष 2023 में 10 राज्यों द्वारा प्रस्तावति 18.5 लाख करोड़ रुपए के **बजट** का लगभग 40% बनि कसि बहस के अनुमोदति कया गया था।
 - मध्य प्रदेश में, 3.14 लाख करोड़ रुपए के बजट का 85% बनि चर्चा के पारति कया गया, जो सूची में शीर्ष पर है।
- वतित्त मंत्री द्वारा बजट की घोषणा के बाद, यह **सामान्य चर्चा के लिये** चला जाता है। इसके बाद **समितियों द्वारा मांगों की जाँच** की जाती है।
 - इसके बाद मंत्रालय के खर्च पर चर्चा और मतदान होता है।
- संसद में बजट छह चरणों से गुजरता है: **प्रस्तुति, सामान्य चर्चा, जाँच, मतदान, वनियोग वधियक पारति करना, वतित्त वधियक पारति करना।**
 - केरल, झारखंड और पश्चिम बंगाल क्रमशः 78%, 75% तथा 74% के साथ क्रमशः दूसरे तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। हालाँकि, 10 राज्यों में जहाँ डेटा उपलब्ध था, 36% व्यय मांगों पर मतदान कया गया और बनि चर्चा के बजट को पारति कर दया गया।
 - यह **प्रवृत्त राज्य के वतित्त की पारदर्शति और जाँच** के बारे में चति उत्पन्न करती है।
- **लोक लेखा समिति (PAC):**
 - 2023 में PAC ने 24 बैठकों की और वचिराधीन राज्यों में औसतन 16 रपिर्ट पेश की।
 - 13 राज्यों में से पाँच (बहिर, दल्लि, गोवा, महाराष्ट्र और ओडशा) में **PAC ने कोई रपिर्ट पेश नहीं की।**
 - महाराष्ट्र में PAC ने पूरे वर्ष न तो कोई बैठक बुलाई और न ही कोई रपिर्ट जारी की।
 - जवाबदेही बनाए रखने में राज्यों के बीच व्यापक असमानता पर ज़ोर देने वाली 95 रपिर्टें पेश करके तमलिनाडु सबसे आगे रहा।

◦ बहिर और उत्तर प्रदेश में PAC की महत्त्वपूर्ण बैठकें हुईं तथा एक भी रिपोर्ट पेश नहीं की गई।

■ **लोक लेखा समिति:** आमतौर पर वपिकष के नेता या वपिकष के एक वरिष्ठ सदस्य की अध्यक्षता में, राज्य सरकारों के खातों और **नयितरक एवं महालेखा परीक्षक**, की राज्य रिपोर्टों की जाँच करती है।

■ **त्वरति वधायी कार्रवाई:**

◦ **44% बलि या तो पेश किये जाने के उसी दिनि, या उससे अगले दिनि** पारति किये गए।

• यह आँकड़ा 2022 (56%) और 2021 (44%) में देखे गए रुझान के अनुरूप है।

◦ गुजरात, झारखंड, मजोरम, पुडुचेरी और पंजाब ने सभी वधियक उसी दिनि पारति कर दिये, जसि दिनि उन्हें पेश किये गया था।

• 28 राज्य वधिानसभाओं में से 13 में वधियक पेश होने के पाँच दिनों में पारति कर दिये गए।

◦ **केरल और मेघालय** को अपने 90% से अधिक बलियों को पारति करने में **पाँच दिनों से अधिक का समय लगा**, जो एक धीमी लेकनि संभावति रूप से अधिक वधिारशील प्रक्रिया को दर्शाता है।

■ **अध्यादेश:**

◦ **20 अध्यादेशों के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है**, उसके बाद आंध्रप्रदेश (11) और महाराष्ट्र (9) आते हैं।

• अध्यादेशों में नए वशि्वविद्यालयों की स्थापना, सार्वजनिक परीक्षाओं और स्वामतिव नयिमें सहति कई वषियों को शामिल किये गए।

• केरल में वर्ष 2022 से 2023 तक अध्यादेशों में उल्लेखनीय कमी ऐसे उपायों की आवश्यकता और प्रभावशीलता पर प्रश्न उठाती है।

■ जब राज्य वधिान सभाओं का सत्र नहीं चल रहा हो तब **राज्यपाल अध्यादेश जारी** करने हेतु अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं।

■ **कानून बनाने का अवलोकन:**

◦ **वर्ष 2023** में प्रत्येक राज्य ने औसतन **18 वधियक** पारति किये, बजट के लिये वनियोग वधियकों की गनिती नहीं की।

• महाराष्ट्र 49 वधियकों के साथ शीर्ष पर रहा जबकि दिल्ली और पुडुचेरी में केवल 2-2 वधियक पारति हुए।

◦ **संवधिान** के अनुसार, हालाँकि **राज्यपाल को वधियकों पर यथाशीघ्र सहमति देनी होती है**, 59% वधियकों को पारति होने के एक महीने के भीतर ही मंजूरी मिल जाती है। जबकि असम, नगालैंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में वलिंब देखा गया।

• पारति किये गए 500 से अधिक वधियकों में **केवल 23** को पारति होने से पहले गहन परीक्षण के लिये वधायी समितियों को भेजा गया था।

वषियों पर आधारति अन्य पारति प्रमुख कानून क्या हैं?

■ **स्वास्थ्य:**

◦ राजस्थान ने मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं और आपातकालीन उपचार की गारंटी देते हुए **स्वास्थ्य का अधिकार वधियक, 2023** पारति किये।

■ **कानून एवं न्याय:**

◦ **संगठित अपराध** से निपटने के लिये हरियाणा और राजस्थान ने **महाराष्ट्र संगठित अपराध नयितरण अधिनियम, 1999 (MCOCA)** के आधार पर कानून प्रस्तुत किये।

◦ **गुजरात सार्वजनिक स्थान पर वरिध प्रदर्शन नषिध वधियक, 2023** सार्वजनिक स्थान पर वरिध प्रदर्शन करने और आंदोलन करने पर रोक लगाता है, जसिसे सार्वजनिक आंदोलन में बाधा उत्पन्न हो सकती है, सड़कें अवरुद्ध हो सकती हैं या अन्य कानून तथा व्यवस्था संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं।

■ **भूमि:**

◦ आंध्र प्रदेश ने **आवंटित भूमि (स्थानांतरण का नषिध) अधिनियम, 1977** में भी संशोधन किये, जसिने भूमिहीन गरीब लोगों को खेती के लिये सरकार द्वारा सौंपी गई भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई।

◦ हिमाचल प्रदेश ने अनुमेय जोत की गणना में **लैंगिक भेदभाव** को दूर करने के लिये अपने **हिमाचल प्रदेश भू-जोत सीमा अधिनियम, 1972** में संशोधन किये।

■ **श्रम एवं रोजगार:**

◦ राजस्थान द्वारा सामाजिक सुरक्षा और **डलिवरी करमियों** जैसे **गगि/प्लेटफॉर्म श्रमिकों के कल्याण** के लिये यह कानून बनाया गया।

◦ राजस्थान द्वारा नये कानून के तहत **न्यूनतम गारंटीयुक्त रोजगार** की व्यवस्था की गई।

■ **स्थानीय शासन:**

◦ छत्तीसगढ़ ने शहरी क्षेत्रों में **बेघर व्यक्तियों को पट्टे का अधिकार प्रदान करने के लिये** एक कानून छत्तीसगढ़ शहरी क्षेत्रों के **बेघर व्यक्तियों को पट्टा अधिकार अधिनियम, 2023** बनाया, जसिका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा मानकों को बनाए रखते हुए उनके पुनर्वास एवं पुनर्वास को सुनिश्चित करना है।

बेहतर प्रशासन और जवाबदेही हेतु कानून में सुधार कैसे किये जा सकता है?

■ PAC को मज़बूत बनाना:

- बैठकों की आवृत्ति, रपॉर्टिंग आवश्यकताओं और रपॉर्टिंग समय-सीमा सहित दिशानिर्देशों एवं प्रोटोकॉल के साथ PAC संचालन को मानकीकृत किया जाना चाहिये।
- PAC प्रदर्शन की नयिमति रूप से नगिरानी और मूल्यांकन करने के लिये तंत्र लागू करने चाहिये। सभी व्यवस्थाओं में ठोस चर्चा और रपॉर्ट तालिकाबद्ध रूप में सुनिश्चित करके PAC सदस्यों के समक्ष अधिक जवाबदेही को प्रस्तुत करनी चाहिये।

■ त्वरति नरिणय लेना:

- राज्यपाल की सहमति के लिये समय-सीमा को निर्धारित करते हुए एक वधायी ढाँचा स्थापित किया जाए:
- यह केंद्र-राज्य संबंधों पर [सरकारिया आयोग \(1988\)](#) की सफारिशों के अनुरूप है, जसिने वधियकों पर समय पर नरिणय लेने पर ज़ोर दिया था।
- पारदर्शिता के लिये राज्यपाल को, सहमति देने में की गई देरी के लिये स्पष्ट और वशिष्ट कारण बताने का आदेश दिया जाए।

■ वधायी समीक्षा:

- वधायिका में पारति होने से पूर्व बजट पर गहन चर्चा एवं बहस का समर्थन किया जाए।
- **केंद्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग ने राज्य वतित आयोगों की भूमिका को दृढ़ करने** तथा यह सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया है कि **बजट पर वधायी चर्चाओं में उनकी अनुशंसाओं पर उचित ध्यान दिया जाए।**

■ वधायी कार्यप्रणाली:

- संवधान के कामकाज़ की समीक्षा के लिये **राष्ट्रीय आयोग** अनुशंसा करता है:
 - **सांसदों को लोकपाल** द्वारा की गई **सार्वजनिक जाँच के अधीन** होना चाहिये।
 - 70 से कम सदस्यों वाले राज्य वधानमंडलों को वार्षिक तौर पर न्यूनतम 50 दिनों के लिये एकत्रित होना चाहिये; तथा जनि वधानमंडलों पास अधिक सदस्य हैं उन्हें कम से कम 90 दिनों के लिये एकत्र होना चाहिये।
 - **राज्यसभा और लोकसभा को क्रमशः न्यूनतम 100 व 120 दिनों के लिये सत्र आयोजित करने चाहिये।**

नषिकर्ष:

- ये नषिकर्ष प्रभावी शासन सुनिश्चित करने हेतु, राज्य वधानसभाओं में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।
- राज्य सत्र पर लोकतांत्रिक सिद्धांतों एवं कुशल शासन को बनाए रखने के लिये बजटीय प्रक्रियाओं, उत्तरदायित्व, वधायी दक्षता तथा अध्यादेशों के उपयोग में असमानताओं को संबोधित करना महत्त्वपूर्ण है।

?????? ???? ????:

प्र. वधान सभाओं में राज्यों के बजट को जलदबाज़ी में पारति करने की प्रवृत्ति, जैसा कि भारतीय राज्यों में 2023 के बजट पारति होने में देखा गया है, पारदर्शिता, जवाबदेही और राजकोषीय ज़िम्मेदारी को कैसे प्रभावित करती है?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई वविकाधीन शक्तियाँ हैं? (2014)

1. भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिपति करने के लिये रपॉर्ट भेजना।
2. मंत्रियों की नियुक्ति करना।
3. राज्य वधानमंडल द्वारा पारति कतपिय वधियकों को भारत के राष्ट्रपति के वचिर के लिये आरक्षित करना।
4. राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिये नयिम बनाना।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

प्रश्न . जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा द्वारा पारति नहीं किया जाता है, (2011)

- (a) बजट को संशोधित किया जाता है और फिर से प्रस्तुत किया जाता है,
- (b) बजट को सुझावों के लिये राज्य सभा में भेजा जाता है,
- (c) केंद्रीय वतितमंत्री को इस्तीफा देने के लिये कहा जाता है,
- (d) प्रधानमंत्री मंत्रपरिषद का इस्तीफा सौपते हैं,

उत्तर: (d)

प्रश्न. केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2015)

1. राजस्व विभाग संसद में पेश किये जाने वाले केंद्रीय बजट की तैयारी के लिये ज़िम्मेदार है।
2. भारत की संसद की अनुमति के बिना भारत की संचति नधि से कोई भी राश नहीं निकाली जा सकती।
3. सार्वजनिक खाते से किये गए सभी संवितरणों के लिये भी भारत की संसद से प्राधिकरण की आवश्यकता होती है।

ऊपर दिये गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 2
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

??????

प्रश्न. राज्यपाल द्वारा वधायी शक्तियों के प्रयोग के लिये आवश्यक शर्तों की चर्चा कीजिये। राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों को वधायिका के समक्ष रखे बिना पुनः प्रख्यापति करने की वैधता पर चर्चा कीजिये। (2022)

प्रश्न. "वभिनिन स्तरों पर सरकारी प्रणाली की प्रभावशीलता और शासन प्रणाली में लोगों की भागीदारी अन्योन्याशरति हैं।" भारत के संदर्भ में उनके संबंधों की चर्चा कीजिये। (2016)

प्रश्न. उदारीकरण के बाद की अवधिके दौरान बजट बनाने के संदर्भ में सार्वजनिक व्यय प्रबंधन भारत सरकार के लिये एक चुनौती है। स्पष्ट कीजिये। (2019)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/annual-review-of-state-laws-2023>

